इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2016—पौष 22, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2016

कमांक एफ 5-1/2002/32-राज्य सरकार के विनिश्चय के अनुसरण में,ऐसे उद्योगों/खदानों,नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए,जिनका पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण के मामले में अनुपालन उत्कृष्ट रहा है तथा इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 5-117-बत्तीस-90,दिनांक 29 अप्रैल,1999 और एफ 5-1-2002-बत्तीस,दिनांक 21 दिसम्बर,2010 को अतिष्ठित करते हुए,एतद् द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को समाविष्ट करते हुए,उपरोक्त क्षेत्र में सर्वोत्तम उद्योगों/खदानों/नगरीय निकाय की पहचान करने तथा पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक समिति गठित की जाती है,अर्थातः-

1.	अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रण बोड, भोपाल-	अध्यक्ष
2.	संचालक/आयुक्त, संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल या उसका प्रतिनिधि-	सदस्य
3.	संचालक, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल या उसका प्रतिनिधि-	सदस्य
4.	संचालक, प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान, (सी.एस.आई.आर), भोपाल अथवा उसका प्रतिनिधि-	सदस्य
5.	प्राध्यापक, पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग,मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल या उसका प्रतिनिधि-	सदस्य
6.	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इन्दौर अथवा उसका प्रतिनिधि-	सदस्य
7.	सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल-	सदस्य सचिव

उपरोक्त समिति संलग्न नियमों के उपबंधों के अनुसार,राज्य के ऐसे पात्र उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों के नामों की पहचान करेगी जिनका पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मामले में,नामों की पहचान करेगी जिनका पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के मामले में,हेतु किसी एक वर्ष में उत्कृष्ट कार्य रहा हो तथा पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी । पात्र उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों का विवरण और पुरस्कार की रकम निम्नानुसार है :-

क्रमांक	इकाईयों का विवरण	पुरुस्कार की राशि रुपये
1.	अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग	1,50,000
2.	सामान्य उद्योग	1,00,000
3.	उत्खननरत खदानें	1,00,000
4.	लघु उद्योग	1,00,000
5.	नगर पालिका निगम	1,50,000
6.	नगर पालिका /नगर परिषद	1.00.000

राज्य सरकार,एतद् द्वारा,राज्य में ऐसे उद्योगों/खदानों/नगरीय निकाय द्वारा अनुकरण किए जाने हेतु नियम बनाती है जो उपरोक्त वर्णित किसी प्रवर्ग के अधीन ऐसा एक पुरस्कार सुनिश्चित करने के लिए,उनका विचारण किए जाने की वांछा रखते हो,अर्थात्:-

"नियम"

1. संक्षिप्त नाम :- इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक इकाईयों/खदानों/नगरीय निकायों के लिये मध्य प्रदेश वार्षिक पुरुस्कार नियम 2015 है ।

2. परिभाषाऐं :- इन नियमों में,जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोड,जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 4 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड है:

(ख) "समिति " से अभिप्रेत है व्यक्ति या व्यक्तियों से है,जैसा कि राज्य सरकार उद्योगों के दावों के विचारण के लिए तथा ऐसे उद्योगों के नामों की सिफारिश कर सकें जो उनके अभिमत से श्रेणीबद्ध के अंतर्गत वार्षिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है,नियुक्त करें:

(ग) "अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग " से अभिप्रेत है ऐसा उद्योग जो मध्यप्रदेश में स्थापित है एवं जो उपबंध-एक में वर्णित है तथा जिनका संयंत्र एवं मशीनों पर पूंजीगत विनियोजन उद्योग विभाग द्वारा यथाविनिश्चय किया गया हो:

(घ) "सामान्य उद्योग" से अभिप्रेत है ऐसा उद्योग जो मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित है किन्तु अंत्यत प्रदूषणकारी के अंतर्गत श्रेणीबद्ध से भिन्न हो पूंजीगत विनियोजन उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चिय किया गया हो:

(ङ) ''लघु श्रेणी के उद्योगो'' से अभिप्रेत है राज्य में स्थित और उपाबंध-एक में यथावर्णित किसी श्रेणी के अंतर्गत उद्योग तथा जिनका पूंजीगत विनियोजन उद्योग विभाग द्वारा विनिश्चित किया गया हो:

(च) ''नगर पालिका निगम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित नगर निगम तथा नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत श्रेणीबद्ध है:

(छ) ''नगर पालिका /नगर परिषद'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश में स्थापित नगर पालिकाएं तथा नगरीय विकास विभाग के अंतर्गत श्रेणीबद्ध है:

(ज) ''उत्खननरत खदानों'' से अभिप्रेत है जिनके अंतर्गत खुले या भूमिगत गढ्ढों से खनिजों का दोहन किया जाए:

(झ) 'प्ररूप'' से अभिप्रेत है उपाबंध-दो में विनिर्दिष्ट प्ररूप।

3. ऐसे उद्योगों/खदानों/नगरीय निकाय जो यह चाहती है कि वार्षिक पुरूस्कार हेतु उन पर विचार किया जावे, तो विहित रीति में संलग्नको सहित अपने दावे बोर्ड को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत करने होंगें । जिसमें उस वर्ष की दिनांक 31 मार्चतम तक की ही स्थिति बताई जाएगी ।

4. केवल ऐसे उद्योग/खदान/नगरीय निकाय ही पुरस्कार के लिए आवेदन के पात्र होंगे जिनके पास जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974,वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 के अंतर्गत जारी चालू अवधि के लिए सहमति/नवीनीकरण का पत्र तथा परिसंकटमय अपशिष्ट(प्रबंधन,हथालन और सीमापार संचालन) नियम,2008/नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम,1999 के अधीन प्राधिकार पत्र हो ।

5. बोर्ड द्वारा विहित तारीख तक या उसके पूर्व प्राप्ति सभी दावे समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे । समिति छानबीन करेगी तथा प्राप्त दावों का परीक्षण करेगी तत्पश्चात् उन उद्योगों/खदानों/नगरीय निकायों के नाम या नामों की सिफारिश करेगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाना चाहिए । यदि समिति किसी का नाम नहीं सुझाती तो उस प्रभाव की सिफारिश की जाएगी । यदि समिति, एक से अधिक नाम किंतु दो तक समिति की सिफारिश करती है तो पुरस्कार की रकम उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी ।

6. समिति कार्य के संचालन की अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगी किन्तु राज्य सरकार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च के पूर्व स्वीकृत हेतु राज्य सरकार को सिफारिश प्रस्तुत करनी होगी ।

7. समिति द्वारा की गई सिफारिश अंतिम होगी ।

8. राज्य सरकार इन नियमों या इन नियमों के अधीन उपाबंध का संशोधन कर सकेगी और ऐसे संशोधन,संशोधन की तारीख से प्रभावी होगें।

9. राज्य सरकार पुरस्कारों की पुष्टि करने के लिए समिति की सिफारिश पर अंतिम विनिश्चिय लेगी ।

10. उपाबंध -2 मे उल्लेखित पुरूस्कार संबंधित उद्योग/खदानों/नगरीय निकाय को राज्य शासन द्वारा नगद पुरूस्कार के साथ दिए जाएंगे ।

परिशिष्ट–1

मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित उन उद्योगों के नाम जो वार्षिक पारितोषिक के लिय विचारणीय होगे (अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग)

1. इन्टीग्रेटेड आयरन एण्ड स्टील प्लांट
2. एल्यूमीनियम इण्डस्ट्रीज
3. डाई एण्ड डाईज
4. केमिकल/कास्टिक सोडा इण्डस्ट्रीज
5. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स
6. शुगर इण्डस्ट्रीज
7. फर्टीलाईजर्स /सल्फ्यूरिक एसिड
8. डिस्टलरी/फरमन्टेशन इण्डस्ट्रीज
9. पल्प पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स
10. सीमेंट इण्डस्ट्रीज
11. थर्मल पॉवर स्टेशन्स
12. पेट्रोकेमिकल्स
13. कल्सटर ऑफ टेनरीज
14. पेन्ट्स
15. पेस्टीसाईड्स
16. कॉपर एण्ड जिंक स्मेल्टिंग
17. पेट्रोलियम ऑयल रिफायनरीज